



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)



OIC

क्र. ३५४१

/अका./ 2015

रायपुर, दिनांक १४/०५/२०१५

## ॥ अधिसूचना ॥

परिनियम क्रमांक 28 भाग-III की कंडिका 6(1)(C) के प्रावधानानुसार अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि निम्नालिखित महाविद्यालय के नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रतिनिधियों का किया गया उन्नयन अधिसूचित किया जाता है। प्रतिनिधियों का कार्यकाल आदेश की तिथि से 2 वर्ष के लिये होगा।

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय	कुलपति जी द्वारा मनोनित दो सदस्य
1,	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581/2, ग्राम-पचेड़ा, पोस्ट-कुर्स, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छोगो)	1. प्रो ए.के. पति, बायोसाइंस अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. प्रो. शैलेन्द्र सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिसूचना, प्रसारित तिथि से प्रभावशील होगी। महाविद्यालयों को शासी निकाय की बैठक प्रत्येक दो माह के अंतराल में कराना अनिवार्य है तथा इसकी कार्यवृत्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करें, बैठक में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को 7 दिवस पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्र. ३५४२ /अका./ 2015

प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक १४/०५/२०१५

- प्राचार्य, उपरोक्त संबंधित महाविद्यालयों को।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)